



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 162 राँची, गुरुवार,

7 अप्रैल, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 मार्च, 2022

संख्या-13/ई०-102/2021-1255--आतंकी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर आतंकी हमलों को अंजाम देकर आतंक का माहौल बनाने एवं देश की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया है। पूर्व में राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-13/सी०-205/2009-260, दिनांक 21.09.2015 द्वारा आतंकवाद निरोधी दस्ता का गठन किया है। साथ ही अधिसूचना संख्या-16/थाना-27/2015-247, दिनांक 28.01.2016 के तहत आतंकवाद निरोधी दस्ता के थानों को भी अधिसूचित किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार पूरा झारखण्ड राज्य है ।

2. आतंकवाद निरोधी दस्ता का मूल उत्तरदायित्व आतंकवाद की प्रत्येक गतिविधि, जिसमें नार्को आतंकवाद/साईबर आतंकवाद/आर्थिक आतंकवाद आदि सभी शामिल है, से राज्य को मुक्त रखना, इसमें संलिप्त आतंकवादियों, उनके सहयोगियों एवं आश्रयदाताओं पर विधि-सम्मत कार्रवाई करना तथा देश की अन्य एजेंसियों को भी आतंकवाद की रोकथाम हेतु आवश्यकत सहयोग प्रदान करना है ।

उल्लेखनीय है कि आतंकवाद एवं संगठित अपराध की कड़ियाँ सामान्यतः आपस में जुड़ी रहती हैं। आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण (Funding) हेतु संगठित अपराधिक गिरोहों और संगठित आपराधिक गतिविधियों जैसे भयादोहन, मादक पदार्थों के अवैध धंधे, तस्करी आदि का सहारा लिया जाता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि की समय से पूर्व सूचना प्राप्त करने तथा समय रहते उसकी रोकथाम हेतु आवश्यक है कि आतंकवाद निरोधी दस्ता द्वारा संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के साथ-साथ राज्य में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी पैनी निगाह रखी जाय तथा उनपर आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय।

3. अतः आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाने को संगठित अपराध के विरुद्ध झारखण्ड राज्य में कहीं भी संगठित आपराधिक गिरोह/संगठन/सदस्य के विरुद्ध विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार छापेमारी, गिरफ्तारी एवं अनुसंधान हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

4. आतंकवाद निरोधी दस्ता का कार्य-व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश के संदर्भ में विधि-सम्मत एवं नियमानुकूल पुलिस आदेश निर्गत करने के लिए महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
